

# जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

## विषय-वस्तु

- के.ज.आ. स्थापना दिवस
- जल संसाधन कार्यों में तकनीकी टेक्सटाइल का उपयोग
- डीआरआईपी
- लखनऊ में समीक्षा बैठक
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) का प्रभाव आकलन
- पोलावरम परियोजना, आंध्र प्रदेश
- उत्तर कोयल जलाशय परियोजना
- शाहपुर कंडी बांध
- जलाशयों के सेडिमेंटेशन अध्ययन के लिए समझौता ज्ञापन
- आईएनसीएसडबल्यू-बैठक
- जलाशय प्रबोधन
- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान
- दीर्घ
- जल क्षेत्र- समाचार
- इतिहास- तिहरी बांध

## आगामी कार्यक्रम



एस. मसूद हुसैन  
अध्यक्ष, के.ज.आ.  
संदेश

इस साल के अप्रैल महीने का स्वागत, 5 अप्रैल को "के.ज.आ. के 74वें स्थापना दिवस" के उत्सव के साथ किया गया। इस दिन 1945 में, केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग (सीडब्ल्यूआईएनसी) की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) के नाम से जाना जाता है। आयोग का उद्देश्य देश के जल संसाधनों के नियोजित उपयोग को विकसित और सुरक्षित करना था। अपनी स्थापना के बाद से, आयोग ने अपने तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता से देश में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रमुख परियोजनाओं जैसे हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, तिहरी, आदि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महीने के दौरान विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन किया गया। शाहपुर कंडी बांध परियोजना के लिए निगरानी समिति की पहली बैठक श्री एस.के. हलधर, सदस्य (जल आयोजना व परियोजना), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 10.04.2019 को आयोजित की गई। बैठक के दौरान पंजाब और जम्मू-कश्मीर दोनों

राज्यों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में निर्णय को अंतिम रूप दिया गया ताकि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। श्री एस.के. हलधर ने 12.04.2019 को उत्तर कोयल परियोजना के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 19वीं बैठक की भी अध्यक्षता की, जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन में विभिन्न मुद्दों / बाधाओं पर चर्चा की गई।

के.ज.आ. द्वारा 23.04.2019 को नई दिल्ली में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत पूरी की गई 10 परियोजनाओं के प्रभाव आकलन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान, इन परियोजनाओं के प्रभाव आकलन पर अध्ययन के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया और उन पर विचार-विमर्श हुआ। कार्यशाला में भाग लेने वाले विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार रिपोर्ट में शामिल किए गए और अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत की गई।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 29.04.2019 को नई दिल्ली में "जल संसाधन कार्यों में तकनीकी टेक्सटाइल के उपयोग" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के वक्ताओं ने जल संसाधनों के कार्यों में तकनीकी टेक्सटाइल के उपयोग में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की और इनके प्रयोग को आगे बढ़ाने के तरीके बताए।

महीने के दौरान, के.ज.आ. के अधिकारियों ने आयोजित विभिन्न अन्य सम्मेलनों / कार्यशालाओं में सक्रिय रूप

से भाग लिया और अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा किया। इनमें से श्री टी.के. शिवराजन, मुख्य अभियंता ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स द्वारा आयोजित अंतर-मंत्रालयीय सम्मेलन में और श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक ने सीबीआईपी द्वारा आयोजित "हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जल विज्ञान के पूर्वानुमान के लिए व्यापक और वैज्ञानिक तंत्र / मॉडल का विकास" पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

केंद्रीय जल आयोग के सभी कार्यों और गतिविधियों का प्रदर्शन करने के लिए सोशल मीडिया पर जोर देने के साथ आजकल के.ज.आ. सक्रिय रूप से जल क्षेत्र ज्ञान, विशेषज्ञता और डोमेन गतिविधियों को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से साझा कर रहा है। इस अवसर पर संगठन के वे अधिकारी जिन्होंने इस माध्यम के उपयोग में रुचि दिखाई है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे नियमित रूप से अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए इन प्लेटफार्मों का उपयोग करें।

5 अप्रैल 2020 को, के.ज.आ. अपनी स्थापना की 75 वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसलिए, मैं के.ज.आ. के सभी अधिकारियों से योगदान देने की और के.ज.आ. के 75 वें वर्ष को बहुत ही खास और यादगार बनाने के लिए अपने विचारों को सामने रखने की अपील करता हूँ।

एस. मसूद हुसैन

## National Conference on Flood Early Warning for Disaster Risk

### Reduction

30-31 May 2019, Hotel GreenPark, Hyderabad, India

Jointly Organized by : National Remote Sensing Centre (NRSC), ISRO & Central Water Commission, MoWR

Under the aegis of National Hydrology Project (NHP) Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation Government of India



Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India

REGISTER NOW

## 6<sup>th</sup> India Water Week 2019

Water Cooperation - Coping with 21st Century Challenges

- A multi disciplinary conference • Promotional facilities
- A 3000 sqm. exhibition • 1500+ delegates

September 24-28, 2019 Vigyan Bhawan, New Delhi

Last Date For Submission of synopsis - June 30, 2019

SEMINARS - 15 SPECIAL SESSIONS - 4

PANEL DISCUSSIONS - 11 BRAINSTROMING SESSIONS - 4


LARGEST WATER RESOURCES EVENT

www.indiawaterweek.in/ www.facebook.com/indiawaterweek.in

## के.ज.आ. स्थापना दिवस- 5 अप्रैल



डॉ बी.आर. अम्बेडकर  
सदस्य (श्रम)  
वायसराय की कार्यकारी परिषद  
(1942-1946)



डॉ ए.एन. खोसला  
संस्थापक अध्यक्ष  
(1945-1953)

केंद्रीय जल आयोग (पूर्ववर्ती केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग - सीडब्ल्यूआईएनसी) की स्थापना 5 अप्रैल, 1945 को देश में जल संसाधनों के नियोजित उपयोग को विकसित और सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी।

के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में 5 अप्रैल 2019 को 74वां स्थापना दिवस मनाया गया. के.ज.आ., ने अब अपने 75 वें वर्ष में प्रवेश किया है और पूरे वर्ष में कई संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ और अन्य गतिविधियों का आयोजन करने की योजना बनाई गई है.

सीडब्ल्यूआईएनसी की स्थापना का श्रेय डॉ बी.आर. अम्बेडकर को दिया जाता है, जिनके कुशल मार्गदर्शन में तत्कालीन श्रम विभाग ने आयोग का गठन किया था. उन्होंने न केवल इस अवधारणा को जन्म दिया और केंद्र में इस तरह के तकनीकी निकाय की आवश्यकता के लिए तर्क दिया, बल्कि इसके उद्देश्यों, संगठनात्मक संरचना और कार्यक्रम को भी निर्धारित किया. सीडब्ल्यूआईएनसी की स्थापना का अंतिम प्रस्ताव, श्रम विभाग ने राय बहादुर ए.एन. खोसला, सिंचाई के परामर्शदाता अभियंता की मदद से तैयार किया था. बाद में डॉ खोसला को सीडब्ल्यूआईएनसी के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था.

1945 में इसकी स्थापना के बाद से, संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी विस्तार किया है. लगभग साढ़े सात दशकों से जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन होने के नाते, आयोग सिंचाई, जल-विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पानी की आपूर्ति सहित जल संसाधन विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं की योजना, जांच, डिजाइन, निर्माण और प्रबंधन से घनिष्ठ जुड़ा हुआ है.

देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में, जिसमें केंद्रीय जल आयोग ने अपने तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसमें हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी, नाथपा झाकरी, श्रीशैलम, फरक्का बैराज, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना, आदि शामिल हैं. केंद्रीय जल आयोग द्वारा पड़ोसी देशों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पुनात्संगचू चरण I & II जल विद्युत परियोजना, तला एचईपी, चूका एचईपी (भूटान), अरुण एचईपी III (नेपाल) और सलमा बांध (अफगान-भारत मैत्री बांध) का डिजाइन शामिल हैं. यह बताना सार्थक है कि भारत सरकार के नदियों के अंतर्गणन (आईएलआर) प्रोग्राम जिसमें अधिक जल वाले बेसिन से कम जल वाले बेसिन में जल के हस्तांतरण की परिकल्पना की गयी है उसे मूल रूप से के.ज.आ. द्वारा 1980 में जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के रूप में परिकल्पित किया गया था.



के.ज.आ. ने अंतरराज्यीय नदियों के पानी के उपयोग के बारे में विभिन्न राज्यों के बीच अंतरराज्यीय मुद्दों को हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. के.ज.आ. के परामर्श के आधार पर कई राज्यों के बीच समझौते कराये गए हैं. के.ज.आ. द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों ने जल आवंटन पर राज्यों के बीच समझौते तक पहुंचने के लिए एक निष्पक्ष आधार दिया है.

वर्तमान में, केंद्रीय जल आयोग में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य पदासीन हैं जो तीन स्कंध नामतः अभिकल्प व अनुसंधान (डीएंडआर) स्कंध, जल योजना एवं परियोजनाएं (डब्ल्यूपीएंडपी) स्कंध और नदी प्रबंध (आरएम) स्कंध का नेतृत्व कर रहे हैं. के.ज.आ. में अध्यक्ष सहित अधिकांश पदों को केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा (सीडब्ल्यूईएस) समूह 'क' संवर्ग के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है.

के.ज.आ.से. समूह 'क' संवर्ग, जो जल क्षेत्र की एक मात्र संगठित सेवा है, औपचारिक रूप से 1965 में गठित की गयी थी जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले अधिकारी शामिल हैं. सीडब्ल्यूईएस अधिकारी जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और इसके अन्य संगठनों जैसे गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी), फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी), कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी), गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी), कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए), राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन इत्यादि में कई महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन हैं.

आयोग की गतिविधियों में सिंचाई, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य केंद्रीय विभागों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना; वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं का मूल्यांकन करना, पूरे देश में चयनित प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना; देश भर में हाइड्रोलॉजिकल डेटा एकत्र, संकलन, भंडारण और प्रसार करना; और सभी अंतरराज्यीय बाढ़ प्रवण नदियों पर बाढ़ का पूर्वानुमान करना शामिल है .

*"मेरी कल्पना है कि समय बीतने के साथ साथ यह निकाय एक बहुत बड़े संगठन के रूप में विकसित होगा जिसकी गतिविधियां सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैलेंगी. इसकी सहायता और सलाह के लिए प्रत्येक प्रान्त और राज्य आतुर रहेगा ताकि किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिकतम लाभ और एकीकृत विकास के लिए किया जा सके."*

सीडब्ल्यूआईएनसी के बारे में डॉ बी.आर.अम्बेडकर का दृष्टिकोण

## जल संसाधनों के कार्यों में तकनीकी टेक्सटाइल के उपयोग पर संगोष्ठी

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में 29.04.2019 को "जल संसाधनों के कार्यों में तकनीकी टेक्सटाइल के उपयोग" पर एक तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

पिछले कई दशकों से वैश्विक स्तर पर तकनीकी टेक्सटाइल का उपयोग किया जा रहा है। इन सामग्रियों ने जल संसाधन परियोजनाओं में विभिन्न अवसरचना के निर्माण और संचालन के दौरान सिविल और भू-तकनीकी पहलू से संबंधित कई मुद्दों के लिए अभिनव इंजीनियरिंग समाधान प्रदान किए हैं। यद्यपि, विकसित और कई विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर तकनीकी टेक्सटाइल का उपयोग किया गया है, भारत में बड़े पैमाने पर इसका तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ उठाना अभी तक अपेक्षित ही है। भारत के विभिन्न हिस्सों में बाढ़/पर्यावरणीय नुकसान की समस्या है। कुछ इलाकों में, बाढ़ प्रबंधन उपायों में तकनीकी टेक्सटाइल ट्यूब, कंटेनर और बैग पर निर्भर कर सकते हैं। तकनीकी टेक्सटाइल की पारगम्यता, लचीलेपन और पानी के नीचे लगाने में सुविधाजनक होने की वजह से पानी के संरक्षण घटक के रूप में कंक्रीट से बेहतर प्रदर्शन करता है। संगोष्ठी में जल संसाधन क्षेत्र में तकनीकी टेक्सटाइल के बड़े उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों, सर्वोत्तम प्रथाओं और तंत्रों पर प्रकाश डाला गया। इसने तकनीकी स्तर के उपयोगों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए रोडमैप बनाने के लिए सभी संबंधित हितधारकों को एक मंच प्रदान किया।

संगोष्ठी में जल संसाधन, संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, निर्माता संघों, व्यापार संघों, सलाहकारों, ठेकेदारों, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। संगोष्ठी के दौरान जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें मानक के मुद्दे, बेंचमार्किंग और तकनीकी टेक्सटाइल का परीक्षण, जल संसाधन संरक्षण के लिए परियोजनाओं में तकनीकी टेक्सटाइल का उपयोग, विभिन्न अनुप्रयोगों में तकनीकी टेक्सटाइल के उपयोग के उन्नत तरीके, तकनीकी टेक्सटाइल से संबंधित संविदात्मक मामले आदि शामिल हैं।

## बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी)

अप्रैल के महीने के दौरान, केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों के एक दल ने विभिन्न बांधों / बैराजों, अर्थात् झारखंड में मैथन और पंचेत बांधों; ओडिशा में रेंगाली और सामल बैराज; तमिलनाडु में मणिमुक्थनधि, विलिंगडन, सेलेवर, शोलेवार और अलियार डैम का डीआरआईपी के

तहत पुनर्वास कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए दौरा और निरीक्षण किया। इसके अलावा, डीआरआईपी के तहत तमिलनाडु के 9 बांधों की आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यशाला 22-26 अप्रैल, 2019 के दौरान कोयम्बटूर में आयोजित की गई।

## लखनऊ में समीक्षा बैठक


श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.मं., ने उत्तर प्रदेश में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए 29.04.2019 को लखनऊ में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में के.ज.आ., उत्तर प्रदेश के सिंचाई और जल संसाधन विभाग और कमान क्षेत्र विभाग के विभिन्न अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान, सचिव ने जल संसाधनों के कुशल और इष्टतम प्रबंधन से संबंधित कई पहलुओं पर जोर दिया। बैठक के महत्वपूर्ण अवलोकन / निर्णय निम्नलिखित थे:

- जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- जल संसाधनों और सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है।
- सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- हमें परियोजनाओं के प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है। ऑडियो विजुअल मीडिया का उपयोग लोगों को काम दिखाने के लिए किया जा सकता है।
- विभाग की मासिक गतिविधियों को दिखाने वाली एक छोटी पत्रिका / समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए राज्य में एक छोटी मीडिया इकाई बनाई जा सकती है।
- उत्तर प्रदेश सरकार से जल अभिशासन, नियामक प्राधिकरण आदि पर एक कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया गया



संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री एस. मसूद हुसैन ने की। श्रीमती टी. राजेश्वरी, अतिरिक्त सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.मं., श्री एन.के. माथुर, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ., श्री एस.एल. गुप्ता, निदेशक, सीएसएमआरएस और श्री अनुज कंवल, निदेशक, आरएंडडी डिवीजन, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.मं. ने भी संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के दौरान मंच साझा किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष, के.ज.आ. ने "जल संसाधन कार्यों में तकनीकी टेक्सटाइल के उपयोग पर अभ्यास पुस्तिका" जारी की। इसे निम्नलिखित यूआरएल से एक्सेस किया जा सकता है:  
[http://mowr.gov.in/sites/default/files/Technical\\_Textile\\_Practice\\_Manual.pdf](http://mowr.gov.in/sites/default/files/Technical_Textile_Practice_Manual.pdf)



श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.मं. 29.04.2019 को लखनऊ में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए

## 10 पूर्ण परियोजनाओं पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) का इम्पैक्ट असेसमेंट

केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी सहयोग से मेसर्स अकादमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एएमएस), लखनऊ द्वारा 23.4.2019 को के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत पूर्ण परियोजनाओं के प्रभाव के आकलन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान, एएमएस के प्रतिनिधि ने उनके द्वारा किए गए अध्ययन पर प्रस्तुति दी। कार्यशाला का उद्घाटन श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा किया गया।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत, केंद्र सरकार अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को उनके यहाँ चल रही वृहत / मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के ऐसे कार्य जो पूर्ण होने की अग्रवर्ती अथवा विस्ताराधीन, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) की स्थिति में हैं, उन कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इन सिंचाई परियोजनाओं में निवेश की गई पूंजी की बड़ी मात्रा को ध्यान में रखते हुए, इनमें अनुमोदन के आधार पर परिकल्पित लाभों के विरुद्ध इन एआईबीपी सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा बनाए गए प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस उद्देश्य के लिए, केंद्र सरकार ने 10 पूर्ण एआईबीपी परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एक अध्ययन करने का काम एएमएस, लखनऊ को सौंपा। इन परियोजनाओं को देश भर के 5 अलग-अलग क्षेत्रों से चुना गया था। अध्ययन के उद्देश्यों को 3 व्यापक शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

**परियोजना विश्लेषण** में मुख्य रूप से परियोजना के परिकल्पित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदर्शन की समीक्षा करना और सिंचाई परियोजनाओं पर एआईबीपी के प्रभाव और परिणामों का मूल्यांकन करना शामिल है।

**कार्यान्वयन और ओएंडएम** में मुख्यतः निम्नलिखित मूल्यांकन शामिल हैं: (i) निर्मित सिंचाई क्षमता के उपयोग की सीमा; (ii) परियोजनाओं की सामर्थ्य और दोष; (iii) पानी के समान और प्रभावी वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं / तौर-तरीकों की प्रकृति और प्रभावशीलता; और (iv) योजना, कार्यान्वयन और जमीनी स्तर के हितधारक / स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई गतिविधियों की प्रकृति और सीमा,

## पोलावरम परियोजना, आंध्र प्रदेश की प्रगति

पोलावरम परियोजना प्राधिकरण द्वारा 21.04.2019 को पोलावरम परियोजना की प्रगति।

क्र. सं.	विवरण	21.4.19 तक कुल % प्रगति
1	समग्र परियोजना	69.40
2	हेड वर्क्स	61.52
3	मुख्य बांध पैकेज	61.51
4	खुदाई (स्पिलवे, स्पिल चैनल, एप्रोच चैनल, पायलट चैनल और लेफ्ट फ्लैक)	84.90
5	कंक्रीट (स्पिलवे, स्टिलिंग बेसिन और स्पिल चैनल जिसमें क्रेविस फिलिंग शामिल हैं)	73.30
6	रेडियल गेट्स फैब्रिकेशन	67.20
7	डायफ्राम वाल	100
8	कॉफ़र बांधों के लिए जेट ग्राउटिंग कट ऑफ	100
9	अपस्ट्रीम कॉफ़र बांध	44.35
10	डाउनस्ट्रीम कॉफ़र बांध	26.12



परियोजना के तहत बनाई गई संपत्ति का रखरखाव।

**प्रभाव मूल्यांकन** में मुख्य रूप से ऑन-फार्म डेवलपमेंट (ओएफडी) कार्यों की प्रकृति और प्रभावशीलता का मूल्यांकन; प्रकृति और सामाजिक-आर्थिक विकास की सीमा; पर्यावरण / पारिस्थितिकी में परिवर्तन; परियोजना की स्वीकार्यता की सीमा; अधिग्रहित भूमि के उपयोग; परियोजनाओं के लाभार्थियों की धारणा, विचार और राय; और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की प्रकृति और सीमा का आकलन शामिल है।

अध्ययन के लिए चयनित परियोजनाएँ हैं (i) शाह नहर परियोजना, हिमाचल प्रदेश; (ii) हिंडन कृष्णी, उत्तर प्रदेश; (iii) हवाईपुर एलआईएस, असम; (iv) ऊपरी कोलाब परियोजना, ओडिशा; (v) झुज परियोजना, गुजरात; (vi) माही बजाज सागर, राजस्थान; (vii) प्रियदर्शनी जुरला, तेलंगाना; (viii) मस्किनल्ला मीडियम प्रोजेक्ट, कर्नाटक; (ix) पूर्णा मीडियम प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र; और (x) सिंध चरण- I परियोजना, मध्य प्रदेश। कार्यशाला का आयोजन परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए प्रारूप रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था, जिसमें सुधार के लिए उनके विचार प्राप्त किए गए थे।

कार्यशाला के पूरा होने के बाद, सलाहकार ने हितधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर मसौदा रिपोर्ट को संशोधित किया है। अंतिम रिपोर्ट सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई है।



निर्माणाधीन पोलावरम परियोजना, आंध्र प्रदेश

## उत्तर कोयल जलाशय परियोजना की 19वीं बैठक

ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.मं ने मई, 2017 में उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) का गठन किया था. समिति को काम की भौतिक और वित्तीय प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करने और परियोजना के लिए धनराशि जारी करने की सिफारिश करने के लिए भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी. समिति की 19वीं बैठक, श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 12.04.2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई. इस बैठक के दौरान, झारखंड से बिहार सीमा तक के लिए दायीं मुख्य नहर के काम के टेंडर, परियोजना की संशोधित लागत का अनुमान, वन मंजूरी - चरण- II, भूमि अधिग्रहण, स्वतंत्र एजेंसी द्वारा झारखंड और बिहार में परियोजना का समवर्ती मूल्यांकन, वाष्कोस को भुगतान जारी करना और जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा किए गए खर्च के लिए केंद्रांश की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई.



श्री एस. के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी) ने 12.4.19 को के.ज.आ., नई दिल्ली में आयोजित उत्तरी कोयल परियोजना के लिए टीईसी की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की

## शाहपुर कंडी बांध, पंजाब की निगरानी समिति की पहली बैठक

शाहपुर कंडी बांध परियोजना पंजाब सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है. परियोजना की अनुमानित लागत 2715.70 करोड़ रु है. केंद्रीय सरकार 2018 में इस 485.35 करोड़ रु की परियोजना के सिंचाई घटक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुई. केंद्रीय सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख / निगरानी के लिए सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन भी

किया गया है. समिति की पहली बैठक 10.04.2019 को हुई थी. बैठक के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

- दोनों राज्यों को यह सलाह दिया गया कि वे बेहतर समन्वय के लिए नियमित बैठकें करें.
- पंजाब बिजली घटक के लिए समय पर धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा.
- परियोजना की प्रगति की स्थिति नियमित रूप से साझा की जाएगी.



शाहपुर कंडी डैम, पंजाब की भौतिक स्थिति		
विवरण	कुल मात्रा (घन मी)	31.03.19 तक निष्पादित
मुख्य बांध का अर्थवर्क	1840000	1247939
मुख्य बांध का कंक्रीटिंग	1105000	92024
हाइडल चैनल हेड रेगुलेटर अर्थवर्क	105500	87320
हाइडल चैनल हेड रेगुलेटर कंक्रीटिंग	23595	14923
रावी नहर हेड रेगुलेटर अर्थवर्क	36000	शून्य
रावी नहर हेड रेगुलेटर कंक्रीटिंग	6700	शून्य
हाइडल चैनल अर्थवर्क	3900000	2771040
हाइडल चैनल कंक्रीटिंग (अस्तर)	42864	32445
हाइडल चैनल पर पुल- खुदाई	24000	21100
हाइडल चैनल पर पुल - कंक्रीटिंग	11400	701
हाइडल चैनल पर पुल -भराई	12000	शून्य
पावर हाउस और संबद्ध कार्य -खुदाई	4518000	शून्य
पावर हाउस और संबद्ध कार्य - कंक्रीटिंग	366970	शून्य
2018-19 के दौरान निष्पादित की गई मात्रा: मुख्य बांध का काम: 50,000 घन मी, मुख्य बांध कंक्रीटिंग: 8000 घन मी		

## व्यापक और वैज्ञानिक तंत्र / मॉडल के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला



श्री गोवर्धन प्रसाद ने 25.04.2019 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में "जलविद्युत परियोजनाओं के जल विज्ञान पूर्वानुमान के लिए व्यापक और वैज्ञानिक तंत्र / मॉडल के विकास" पर सीबीआईपी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में "जलविद्युत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण स्नो मेल्ट अपवाह मॉडलिंग" पर प्रस्तुति दी

## जलाशय में गाद जमाव के आकलन के लिए समझौता ज्ञापन

के.ज.आ. ने रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके 40 जलाशयों के सेडिमेंटेशन असेसमेंट स्टडी का संचालन करने का जिम्मा महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एमईआरआई), नासिक को सौंपा है. के.ज.आ. और एमईआरआई, नासिक के बीच उपरोक्त कार्य के संबंध में 01.04.2019

को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

इसके अलावा, के.ज.आ. स्वतः रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माताटीला जलाशय में सेडिमेंटेशन स्टडी कर रहा है.

## सतही जल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसीएसडबल्यू)

सतही जल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति की 5वीं बैठक श्री एस. मसूद हुसैन अध्यक्ष, आईएनसीएसडबल्यू और के.ज.आ. की अध्यक्षता में 16.04.2019 को के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई.

आईएनसीएसडबल्यू, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.मं द्वारा गठित एक समिति है, जो मुख्य रूप से केंद्र / राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को सतही जल से संबंधित मामलों पर सलाह देने, विशेष रूप से मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत सतही जल में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के समन्वय का कार्य करती है. आईएनसीएसडबल्यू, सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीआईडी) में राष्ट्रीय समिति के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर रही है.

बैठक में समिति ने ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.मं द्वारा वित्त पोषित की जा रही अनुसंधान एवं विकास योजनाओं की वर्तमान स्थिति और उनके कार्यान्वयन की निगरानी और समन्वय में आईएनसीएसडबल्यू सचिवालय के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की. समिति के सदस्यों ने समिति के गैर-स्थायी सदस्यों के नामांकन से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया.




मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण के लिए नई अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के प्रसंस्करण के लिए तंत्र के संशोधन और आईसीआईडी की भारतीय राष्ट्रीय समिति के व्यापक आधार जैसे अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई.

## जलाशय निगरानी

के.ज.आ. साप्ताहिक तौर पर देश भर के 91 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और प्रत्येक गुरुवार को इस संबंध में एक बुलेटिन जारी करता है.

इन 91 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 161.993 बीसीएम है, जो कि देश में निर्मित अनुमानित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 63% है.

दिनांक 25.4.19 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 42.526 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 26% है. यह पिछले वर्ष के दौरान इसी अवधि के भंडारण का 114% है और पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण का 104% है.



## राज्य की सर्वोत्तम प्रथाएँ - मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, राजस्थान

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल संचयन संबंधी गतिविधियों के कार्यान्वयन से गाँवों को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था. उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, ग्रामीणों और लाभार्थियों को प्रेरित करके लोगों की भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न कार्यों को लागू किया गया था. इसके परिणामस्वरूप 128 मिलियन घन मी (4516 एमसीएफटी) पानी का संचयन करने के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण हुआ, जिसके साथ व्यापक और वैज्ञानिक तरीके से वाटरशेड विकास की गई. इन उपायों ने अतिरिक्त 11170 एमसीएफटी मानसून के पानी को रोकने में मदद की, जिसके चलते निम्नलिखित परिणाम मिला:

- गर्मियों के दौरान पीने योग्य पानी की बेहतर उपलब्धता.
- भूजल स्तर में सुधार.
- खराब हो चुके हैंडपंप, ट्यूबवेल और कुओं का पुनरुद्धार.
- अल्पता ऋतु में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता से अल्पता ऋतु फसल व फलोद्यान के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई.
- वनस्पतियों और जीवों का विकास और अनुरक्षण.
- सूखे के दुष्प्रभाव को कम करना और जनता की दुर्दशा को कम करना.



## दीर्घिका



श्री एन.के. माथुर, सदस्य(डीएंडआर) ने धर्मा सॉफ्टवेयर के विकास और इसके प्रशिक्षण मॉड्यूल पर 03.04.2019 को एक बैठक की अध्यक्षता की



श्री पी.एम. स्काट, चीफ इंजीनियर, बीएंडबीबीओ, के.ज.आ. यारलुंग त्संगपो / ब्रह्मपुत्र में चीन से भारत के लिए प्रवेश स्थल और के.ज.आ. के तुरिंग स्थित जीडी प्रेक्षण स्थल का निरीक्षण करते हुए



श्री एन.के. माथुर, सदस्य(डीएंडआर) ने 05.04.2019 को हाइड्रोलॉजिकल डिज़ाइन एड्स (सतही जल) - एचडीए(एसडबल्यू) के विकास के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की



श्री एन.के. माथुर, सदस्य(डीएंडआर) ने 12.04.2019 को डीएसआरपी के सदस्यों के रूप में विभिन्न विशेषज्ञों के पैनल बनाने वाली समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की



श्री पी.एम. स्काट, चीफ इंजीनियर, बीएंडबीबीओ, के.ज.आ., शिलॉन्ग ने 12.04.2019 को गुवाहाटी में बाढ़ की तैयारी के लिए समन्वय बैठक की अध्यक्षता की



श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने 16.04.2019 को सदस्यों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ के.ज.आ. के कार्यों में सुधार के लिए व के.ज.आ. की 75 वीं वर्षगांठ समारोह मनाने की योजना पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता



रा.ज.अ., पुणे में 22.04.2019 से 03.05.2019 तक आयोजित के.ज.आ. के नवनियुक्त पदोन्नत सहायक निदेशकों - II / उप मंडल अभियंताओं के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच - 2)



श्री एन.के. माथुर, सदस्य(डीएंडआर) ने, " विद्युत उत्पादन के लिए पानी पहुँचाने वाले कंक्रीट लाइनड टनल में स्वीकार्य वेग" पर कॉन्सेप्ट नोट पर चर्चा करने के लिए 23.4.19 को आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की



श्री टी.के. शिवराजन, मुख्य अभियंता, डिज़ाइन(ईएंडएनई), के.ज.आ. 26.04.2019 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर-मंत्रालयी सम्मेलन में एनआईआरएम के विशिष्ट संदर्भ में रॉक यांत्रिकी और इंजीनियरिंग अनुप्रयोग पर व्याख्यान देते हुए

**"You have no idea on how much water we waste. Our reservoirs do."**

## जल क्षेत्र से समाचार

- आज से हिमांचल की नदियों को प्रदूषित करने वाले पर लगेगा रू 1 लाख का जुर्माना (दैनिक भास्कर 02.04.2019)
- सिन्धु जल का पानी पाकिस्तान जाने से रोका (पंजाब केशरी 04.04.2019)
- हरियाणा से आने वाले पानी की जाँच करे केंद्र –जलबोर्ड (पंजाब केशरी 06.04.2019)
- गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक तेनात होंगे गंगा मित्र (अमर उजाला 07.04.2019)
- अरबो रुपये खर्च करने के बावजूद यमुना नहीं हो रही प्रदुषण मुक्त (दैनिक जागरण 07.04.2019)

- निर्मल गंगा योजना अमेरिकी जज की नजर में है जबरदस्त (दैनिक जागरण 10.04.2019)
- उत्तर भारत में तेजी से घट रहा भू-जल स्तर (हिंदुस्तान 11.04.2019)
- गंगा यमुना जैसी नदिया हमारी धरोहर –डॉ जोशी (दैनिक जागरण 14.04.2019)
- नमामि गंगे को लंदन में पुरस्कार (हिंदुस्तान 16.04.2019)
- मुख्य बांधों में 19 फीसदी ही शेष है जल संग्रह (राजस्थान पत्रिका 22.04.2019)

## इतिहास- टिहरी बाँध, उत्तराखंड, "भारत का सबसे ऊँचा बाँध"



### मुख्य विशेषताएं

- 260.5 मीटर ऊंचा और 592 मीटर लंबा.
- 2006-07 में टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना का एक भाग चालू हुआ
- परियोजना में बाएँ तट पर स्थित एक 1000 मेगावाट क्षमता वाला भूमिगत बिजली घर शामिल है.
- बांध और बिजली घर का निर्माण और संचालन टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) को सौंपा गया था.
- यह मृदा और मृदा-शैल(रॉकफिल) बांध है.
- स्पिलवे प्रणाली - एक शूट स्पिलवे और चार शाफ्ट स्पिलवे 15540 क्यूमेक के पीएमएफ व 220 मी के ड्राप के लिए डिज़ाइन किए गए हैं .
- जलाशय में 3540 एमसीएम की सकल भंडारण क्षमता और 2615 एमसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता है.

### लाभ

- निचली गंगा, समानांतर निचली गंगा, मध्य गंगा स्टेज - I और आगरा नहर प्रणालियों की कमान में 2.70 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई प्रदान करना.
- मौजूदा कमांड में 6.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का स्थिरीकरण.
- दिल्ली और यूपी को पीने के पानी की आपूर्ति.

### के.ज.आ. की भूमिका

- के.ज.आ. ने निर्माण के समय परियोजना के लिए डिजाइन में परामर्श प्रदान किया.
- शूट और शाफ्ट स्पिलवेज (मॉर्निंग ग्लोरी) के लिए डिजाइन बांध की खासियत थी. इसकी कार्यप्रणाली की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बांध में दी गई दोहरी दीर्घाओं का डिज़ाइन भी अद्वितीय है.
- परियोजना चालू होने के बाद सिविल संरचनाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए निराकरण उपायों के लिए परामर्श प्रदान करना.
- सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. टीएचडीसी के निदेशक मंडल के सदस्य हैं.
- के.ज.आ., टीएचडीसी और विद्युत मंत्रालय को टिहरी बांध के सुरक्षा पहलुओं पर सलाह दे रहा है.
- सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में भूकंपीय डिजाइन पैरामीटर पर राष्ट्रीय समिति जिसका सचिवालय के.ज.आ. में है, ने परियोजना के भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन को सुनिश्चित करने के लिए भूकंपीय डिजाइन पैरामीटर प्रदान किए हैं.



### केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,  
भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

### संपादक मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री एच.एस. सेंगर, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री रवि भूषण कुमार, निदेशक(टीसी) - सदस्य

### अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय  
केन्द्रीय जल आयोग

- श्री एस.डी. शर्मा, निदेशक(जल प्रणाली अभियांत्रिकी) - सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक(आईएसएम-2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएंडआर सम.) - सदस्य
- श्रीमती रजिन्द्र पॉल, सहायक निदेशक(राजभाषा) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066  
ई-मेल: media-cwc@gov.in

